**To Install 66kV Tubular/China Poles**

**68 SH. GHANSHYAM DASS, MLA** **:-**

Will the Energy Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that 66kV Extra High-Tension wires having very low height are passing over the high-density areas of Yamuna Nagar due to that many accidents have been occurred causing loss of life and property; and

b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to install 66kV Tubular/China Poles to save the life and property of people togetherwith the details thereof?

**Ranjit Singh, Energy Minister**

1. Yes Sir.

There are overhead 66kV Extra High Voltage lines passing over the densely populated area of Yamuna Nagar. The un-authorised residential construction have come up subsequently under these lines which were erected long back in 1980s.

1. No Sir.

There is no proposal presently under consideration to install 66kV tubular/China Poles. Even the re-erection of these lines on tubular/China Poles, subject to technical feasibility, may not address the concern as these lines will remain passing over the un-authorized residential construction.

**66 के वी ट्यूबलर/चाइना पोल (खम्बे) लगाना**

**68 श्री घनश्याम दास**, **एम.एल.ए.:**

 क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि यमुनानगर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बहुत कम ऊंचाई से 66 केवी की एक्स्ट्रा हाई-टेंशन तार गुजर रही है जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों के जान-माल को बचाने के लिए 66 के.वी ट्यूबलर/चाइना पोल लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

**रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री**

(क) हाँ श्रीमान ।

यमुनानगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र के ऊपर से ओवरहैड 66 केवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें गुजर रही हैं। काफी समय पहले 1980 के दशक में बनाई गई लाइनों के नीचे बाद में अनधिकृत आवासीय निर्माण किए गए हैं।

(ख) नहीं श्रीमान ।

वर्तमान में 66 केवी ट्यूबलर/चाइना पोल लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यहां तक कि, ट्यूबलर/चाइना पोल पर इन लाइनों को दोबारा बिछाने, जो कि तकनीकी फिजीबिलिटी के अधीन है, से भी मामले का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइनें अनधिकृत आवासीय निर्माण के ऊपर से गुजरती रहेंगी।